कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1564 /11–सी–FP/UP/Road/153349/2022, लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 22 ,2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद–कौशाम्बी में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी0 सं0–49.155 से किमी0 सं0–74.700 तक (सिंगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हाईब्रिड वार्षिक मोड पर क्रास कर रहे एन0एच0–731ए, जिला–कौशाम्बी में प्रस्तावित 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण में प्रभावित 15.461 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/32/2023/एफ0सी0/450, दिनांक 19.12.2023, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज का पत्रांक–1984/15–1, दिनांक 22.12.2023 एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, कौशाम्बी का पत्रांक–1240/5–8, दिनांक 21.12.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में CA site overlap with the proposal no. FP/UP/RAIL/151921/2022 के संबंध में Clarification/आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में निम्नानुसार अवगत कराना है किः–

1. विषयगत प्रकरण में वृक्षारोपण हेतु उक्त वन भूमि उपलब्ध कराने से पूर्व रेल विकास निगम लि0 के प्रस्ताव सं0–FP/UP/RAIL/151921/2022 को वृक्षारोपण हेतु देने के लिए प्रभागीय निदेशक, प्रयागराज द्वारा सुरक्षित की गयी थी, किन्तु कालान्तर में उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 19.05.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार रेलवे की भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के प्राविधान लागू न होने के कारण तथा रेल विकास निगम लि0 के पत्र दिनांक 03.08.2023, जिसमें उनके द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया था। इसके फलस्वरूप ही उक्त वनभूमि को वृक्षारोपण हेतु विषयगत प्रस्ताव सं0–FP/UP/Road/153349/2022 को आवंटित कर इससे सम्बन्धित अभिलेख अपलोड कर प्रेषित किये गये हैं।
2. रेल विकास निगम लि0 द्वारा प्रस्ताव सं0–FP/UP/RAIL/151921/2022 को परिवेश 1.0 पोर्टल से विड्रा करने हेतु दिनांक 20.12.2023 को परिवेश 1.0 पोर्टल पर आवेदन किया गया, जिसके उपरान्त इस कार्यालय द्वारा दिनांक 20.12.2023 को ही भारत सरकार के परिवेश 1.0 पोर्टल से रेल विकास निगम लि0 के प्रस्ताव सं0–FP/UP/RAIL/151921/2022 को विड्रा कर लिया गया है।
3. रेल विकास निगम लि0 का प्रस्ताव सं0–FP/UP/RAIL/151921/2022 ऑनलाइन से विड्रा होने के उपरान्त इस प्रस्ताव के लिए वृक्षारोपण हेतु पूर्व में दी गयी वनभूमि वर्तमान में पूर्णतः खाली है तथा विषयगत प्रस्ताव सं0–FP/UP/Road/153349/2022 को आवंटित कर इससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख अपलोड कर प्रेषित किये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि कृपया विषयगत प्रस्ताव हेतु प्रेषित की गयी उक्त वनभूमि को वृक्षारोपण के लिए स्वीकार करते हुये प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृत निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1564 /11–सी– FP/UP/Road/153349/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, कौशाम्बी एवं प्रयागराज।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–1, उ0प्र0 लो0नि0वि0, प्रयागराज।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Ad.S.O.
&
for CCF/Nodal
S.A.O.
22/12/23

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

पत्रांक – 1984 /15-1, दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर, 22 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय – जनपद कौशाम्बी मे राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी0 सं0 49.155 से किमी0 74.700 तक (सिंगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हाईब्रिड वार्षिक मोड पर कास कर रहे एन0एच0–731ए जिला कौशाम्बी (उ0प्र0) में प्रस्तावित 4 लेन ग्रीनफिल्ड हाईवे निर्माण में प्रभावित 15.461 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध मे।

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/32/2023/एफ0सी0/450, दिनांक 19–12–2023 एवं आपका पत्रांक 1523/11–सी–FP/UP/ROAD/153349/2022, दिनांक 19.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कौशाम्बी ने अपने पत्रांक 1240/5–8, दिनांक 21–12–2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 19–12–2023 द्वारा उठायी गयी आपत्ति तद्क्रम में प्रयागराज वन प्रभाग में प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण भूमि में overlap प्रदर्शित हो रहा है। जिसके सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज ने अपने पत्रांक 2076/15–1, दिनांक 21–12–2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा CA हेतु उक्त वन भूमि जो पूर्व में रेल विकास निगम लिमिटेड को देने के लिये सुरक्षित की गयी थी। किन्तु कालान्तर में उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1482/81–2–2023–800(79)/2019, दिनांक 19–05–2023 के कार्यालय ज्ञाप में दिये गये निर्देशों के अनुसार रेलवें की भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के प्राविधान लागू न होने के कारण तथा रेल विकास निगम लिमिटेड के पत्र दिनांक 03–08–2023 जिसमें उनके द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, को ध्यान में रखते हुये उक्त वनभूमि को क्षतिपूरक वनीकरण (CA) हेतु कौशाम्बी वन प्रभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

संख्या :– 1984 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कौशाम्बी को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–1, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/12/2023
(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

D:\D-Man-2020-21\Land Transfer & petrol pump\Bhumi Hastantaran.docx

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

पत्रांक 1240 / 5-8 मंझनपुर, दिनांक 21 दिसम्बर , 2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 प्रयागराज वृत्त,
प्रयागराज।

विषय-- राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी0 संख्या-- 49.155 से किमी0 संख्या--14.70 तक (सिंगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हाईब्रिड वार्षिक मोड़ पर कास कर रहे एन0एच0--731ए जिला कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) मे प्रस्तावित 4लेन ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण मे प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति के सम्बन्ध में। **(प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0पी0/ रोड/153349/2022)**

संदर्भ-- वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 1523/11--सी **एफ0पी0/यू0पी0/ रोड/153349/2022)** दिनांक 19.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में आपके द्वारा उठाई गई अपत्ति मे प्रयागराज मे प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण भूमि मे overlap प्रदर्शित हो रहा है जिसके सम्बन्ध मे प्रभागीय निदेशक, प्रयागराज ने अपने पत्रांक 2076/15--1 दिनांक 21/12/2023 के द्वारा CA हेतु उक्त वन भूमि उपलब्ध कराने से पूर्व रेल विकास निगम लि0 को CA हेतु देने के लिए सुरक्षित की गयी थी, किन्तु कालान्तर मे उ0प्र0 शासन पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिर्वतन अनुभाग--2 संख्या 1482/81--2--2023--800 (79)/2019, दिनांक 19--05--2023 के कार्यालय ज्ञाप मे दिये गये निर्देशो के अनुसार रेलवे की भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा--2 के प्रविधान लागू ना होने के कारण तथा रेल विकास निगम लि0 का पत्र दिनांक 03/08/2023 जिसमे उनके द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, को ध्यान मे रख कर उक्त भूमि क्षतिपूरक हेतु कौशाम्बी वन प्रभाग को उपलब्ध करायी गई है तथा उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Ad.S.O.
for CCF/Nodal
8.1.0

संलग्न--उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आर0एस0 यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

संख्या /समदिनांक।

प्रतिलिपि-- नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0एस0 यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक– 2076 /15–1 दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर, 21, 2023।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
कौशाम्बी।

विषयः– जनपद–कौशाम्बी अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–731A के कि0मी0 49.155 से कि0मी0 74.700 (सिंगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) रोड चौड़ीकरण में प्रभावित 15.461 हे0 संरक्षित वन भूमि (PF land) के बदले दुगने अवनत वन भूमि 30.92 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–559/5–8 दिनांक–18.09.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1310/15–1, दिनांक–19.10.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद–कौशाम्बी अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–731A के कि0मी0 49.155 से कि0मी0 74.700 तक मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि (PF land) के बदले दुगने अवनत वन भूमि 30.92 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण (CA) हेतु प्रयागराज वन प्रभाग के मेजा रेंज के कोहड़ार वन ब्लाक सकल क्षे0 12.2 हे0 के 10 हे0 व कोरांव रेंज बेलहट वन ब्लाक सकल क्षे0 28.00 हे0 के सापेक्ष 20.92 हे0 भूमि का चयन कर उसका GPS Coordinates आपको प्रेषित किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि CA हेतु उक्त वन भूमि आपको उपलब्ध कराने से पूर्व रेल विकास निगम लि0 को CA हेतु देने के लिए सुरक्षित की गयी थी, किन्तु कालान्तर में उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 संख्या– 1482/81–2–2023–800 (79)/2019, दिनांक–19.05.2023 के कार्यालय ज्ञाप में दिये गये निर्देशों के अनुसार रेलवे की भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के प्राविधान लागू न होने के कारण तथा रेल विकास निगम लि0 का पत्र दिनांक–03.08.2023 जिसमें उनके द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है को ध्यान में रखकर उक्त भूमि CA हेतु आपको उपलब्ध करायी गयी है। अतःउपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

To,

The Nodal Officer (CCF)
Department of Environmental Forest & Climate Change
Rana Pratap Marg, Lucknow

Date: 20/12/2023

Subject: Regarding withdrawal of online proposal no. FP/UP/RAIL/151921/2022.

Reference: Govt. of Uttar Pradesh Environment Forest and Climate Change Section-2, Letter no. 1482/81-2-2023-800(79)/2019 Lucknow, dated: 19th May, 2023.

Adso
18
ref Nodal
Aey
20/12/23
Itara BO
20/12/23
cm
withdraw
Amu
ज्या
Aey
20/12/23

Respected Sir,

Please refer to the above cited subject seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for non-forestry purposes.

The proposal of diversion of 27.04715 Ha of Protected forest land in favor of Sr. Manager/Project, Rail Vikas Nigam Limited for Proposed New 2nd Line along with existing Railway line between (Km. 2.600 to 6.880) in District Jaunpur & (Km. 6.880 to 45.500) in District Prayagraj in U.P. Under Janghai-Phaphamau Railway Track Doubling Project of Rail Vikas Nigam Limited Lucknow in state of Uttar Pradesh.

In the above proposal, proposed land for Proposed New 2nd Line along with existing Railway line is in the Right of Way (ROW) of Rail Vikas Nigam Limited. And the ownership of the above land is owned by Railway department. So as per the guideline of (File No. 81-2099/194/2022-02-,) Govt. of Uttar Pradesh Environment Forest and Climate Change Section-2, Letter no. 1482/81-2-2023-800(79)/2019 Lucknow, dated: 19th May, 2023, and File No. 11-37/2016FC(PT)LWF.NO.17-12/2016FC, dated: 10th March, 2022, Forest (Conservation) Act 1980 is not applicable on the railway department scheme for land diversion within the Right of Way (ROW) of the Railway as per the Railway Act 1989 Section-11. So, as per the above guideline Forest (Conservation) Act 1980 is not applicable on the above proposal.

So, we humbly request you to withdrawal the above proposal no. FP/UP/RAIL/151921/2022 as per above referenced guideline.

21/12/23

(Authorized Signatory)

M.M. Agarwal
Senior Manager (Civil)
RVNL/Lucknow

Rail Vikas Nigam Limited

M.M. Agarwal

कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 3731 /11–सी, लखनऊ, दिनांकः मई 25 ,2023

सेवा में,

1. समस्त जोनल एवं मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक,उ0प्र0।

विषयः– रेलवे विभाग की संरक्षित वनभूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने एवं वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का कार्यालय ज्ञाप संख्या–1482/81–2–2023–800(79)/2019, दिनांक 19.05.2023 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को रेलवे की भूमि पर लागू होने एवं वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा वन (संरक्षण) नियम 2022 जारी किया गया है।

अतः भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत वन (संरक्षण) नियम 2022 की छायाप्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 3731 /11–सी, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष/सी0ई0ओ0, रेलवे बोर्ड/पदेन प्रमुख सचिव, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
5. उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
6. वन महानिरीक्षक (एफ0सी0), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
9. सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेंसी।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

25/5/23

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

20/12/23

M.M. Agarwal
Senior Manager (Civil)
RVNL/Lucknow

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2
संख्या-1482 /81-2-2023-800(79)/2019
लखनऊ, दिनांक 19 मई ~~फरवरी~~, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को रेलवे की भूमि पर लागू किये जाने के बारे में स्पष्टीकरण सम्बन्धी दिशा-निर्देश दिनांकित 10 मार्च, 2022, 09 जून, 2022, 10 जून, 2022, इत्यादि एवं विद्वान अटार्नी जनरल ऑफ इण्डिया की एतद् विषयक विधिक राय के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त रेलवे विभाग की परियोजनाओं (ROW) में अपेक्षित गति लाये जाने एवं अनावश्यक होने वाले विलम्ब से बचने हेतु रेलवे विभाग की भूमि जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संरक्षित वन घोषित किया गया है, पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के के प्राविधान लागू होने एवं रेलवे भूमि पर वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं:-

1. रेलवे के स्वामित्व की भूमि जिसे राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित किया गया है तथा रेलवे के राइट ऑफ वे के अन्तर्गत पड़ती है, पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा-11 के अनुसार रेल विभाग की परियोजनाओं के निष्पादन एवं अनुरक्षण किये जाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के प्राविधान आकर्षित नहीं होंगे। इन परियोजनाओं हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा- 2 के अन्तर्गत वन विभाग से अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में किसी बात के होते हुए भी रेलवे के राइट ऑफ वे के अन्तर्गत रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर रेलवे अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत रेलवे कार्यो के निष्पादन या रखरखाव किये जाने हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. रेलवे की भूमि जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि घोषित है, पर अवस्थित वृक्षों का पातन कार्ययोजना के अनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम के माध्यम से किया जायेगा।
4. रेलवे के ऊपर, नीचे या उसके किनारे अथवा रेलवे की ओर जाने या रेलवे की ओर से आने हेतु क्रॉसिंग, पुलों, पुलियों और मार्गों के निर्माण में जंगली जानवरों हेतु रास्ते, हाथी गलियारे और सम प्रकृति के मार्ग भी शामिल होंगे। रेलवे द्वारा उक्त रास्ते राज्य सरकार के संबंधित वन्यजीव अधिकारियों की सलाह के अनुसार, जब भी आवश्यक हो, अवश्य रूप से प्रदान किए जाएंगे। जंगली जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उक्त सभी क्रॉसिंग या रास्तों के निर्माण की लागत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 16(2) के अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा वहन की जाएगी।

M.M. Agarwal
Senior Manager (Civil)
RVNL/Lucknow
20/12/23

File No.81-2099/194/2022-02-,

I/319213/2023

5. उपरोक्त निर्देश भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 11 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 की व्याख्या से सम्बन्धित मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-3166/2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन होंगे

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

Signed by मनोज सिंह
Date: 18-05-2023 16:59:30
Reason: Approved

1. अध्यक्ष/सी.ई.ओ. रेलवे बोर्ड/पदेन प्रमुख सचिव, रेल मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. उप वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अलीगंज, लखनऊ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. समस्त, मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त, मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

20/4/23
M.M. Agarwal
Senior Manager (Civil)
RVNL/Lucknow

File No.11-37/2016FC(Pt)LWF.NO.17-12/2016FC

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi – 110 003
Dated: 10th March, 2022

To

The Secretary (Forests),
All State Governments/UT Administrations

Sub: Clarification on applicability of the Forest (Conservation) Act, 1980 on Railways land - reg.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 21st May, 2019 on the above subject forwarding a clarification on the applicability of the Forest (Conservation) Act, 1980 in respect of railways lands. In this connection, it is to inform that the issue related to applicability of the Forest (Conservation) Act, 1980 on the lands within RoW acquired by the Indian Railway was examined in consultation with the Attorney General of India and Ministry of Law and Justice, Government of India. As per such opinion received received from the Ministry of Law & Justice, Government of India, it is now clarified that:

i. For execution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railway's right of way under Section 11 of Railways Act 1989, notwithstanding the directions of Hon'ble Supreme Court given in the judgment in TN Godavarman Thirumalpad v. Union of India, (W.P. (C) 202/1995), the need for obtaining the approval of the Central Government under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 will not arise.

ii. Section 11 of the Railways Act would also operate for execution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railway's right of way, notwithstanding anything to the contrary in the Wildlife (Protection) Act, 1972.

iii. Moreover, the construction of crossings, bridges, culverts and passages over, under or by the sides of, or leading to or from a railway, would also include passages for wild animals, elephant corridors and the like. These would be necessarily provided, wherever required as per the advice of the concerned wildlife authorities in the State Government. In terms of Section 16(2) of the Railways Act, 1989, the cost of construction of all such crossings or pathways to be used by wild animals would be borne by the Railway Administration.

20/12/23
M.M. Agarwal
Senior Manager (Civil)
RVNL/Lucknow

iv. A Civil Appeal 3166/2014 which involves the interpretation of Section 11 of Indian Railways Act 1989 and Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, is pending in the Hon'ble Supreme Court. The above clarification/opinion is subject to the final judgment of the Hon'ble Supreme Court in the said Civil Appeal.

v. These directions are applicable **ONLY** for **execution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railway's right of way** under Section 11 of Railways Act 1989. **Rest of the cases will be dealt with relevant provisions under Forest (Conservation) Act, 1980.**

Yours faithfully,

(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, Government of India
2. The Principal Chief Conservator of Forests, All State Governments/UT Administrations
3. The Chief Wildlife Wardens, All State Governments/UT Administrations
4. The Nodal Officer, FCA, 1980 O/o PCCF, All State Governments/UT Administrations
5. The Regional Officers, All Integrated Regional Offices of the MoEF&CC.
6. Guard File.

20/11/23
M.M. Agarwal
Senior Manager (Civil)
RVNL/Lucknow

Signed by Sandeep Sharma
Date: 10-03-2022 18:47:19
Reason: Approved

List of Proposals Applied for Withdraw by User Agency

▽ Help

Click on Withdraw this icon to Withdraw the proposal.

◉Allocation of fresh forest land (Form-A) ○Renewal of lease (Form-B) ○Prospecting of Minerals (Form-C)

Select Region : Lucknow   Select State : Uttar Pradesh

Enter value for Search :

Search

Sno.	Proposal No.	Proposal Name	Category	User Agency Name	Area Applied (ha.)	Proposal physically received on	Proposal Status	Covering Letter	Reason for Withdraw	Withdraw	Withdraw Not Accepted
1	FP/UP/RAIL/151921/2022	Proposed New 2nd Line along with existing Railway line between (Km. 2.600 to 6.880) in District: Jaunpur & (Km. 6.880 to 45.500) in District: Prayagraj in U.P. Under Janghai-Phaphamau Railway Track Doubling Project of Rail Vikas Nigam Limited Lucknow.	Railway	RAIL VIKAS NIGAM LIMITED	27.04715	02 Feb 2022	Pending With UA	Annexure (../writereaddata/Covering_letter/122020231WithdrawlLetterRVNLLetter.pdf)	Withdrawl Letter has been Attached	Withdraw	Not Accept

Online Help/Query

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) (HTTPS://DATA.GOV.IN/) (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) (HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in